झलकियां -2021

भारत में दुर्घटनाएं

	2020	2021
दुर्घटना में व्यक्तियों की मृत्यु	3,74,397	3,97,530
*दुर्घटना की मृत्यु दर	27.7	29.1

* दर प्रति एक लाख जनसंख्या के अनुसार

- वर्ष 2021 के दौरान अधिकतम मृत्यु, आयु समूह '30 वर्ष एवं उससे ऊपर - 45 वर्ष से कम' में (1,22,943 मृत्यु, 30.9%) उसके बाद आयु समूह '18 वर्ष एवं उससे ऊपर - 30 वर्ष से कम' में (1,01,224 मृत्यु, 25.5%) दर्ज की गई।

प्राकृतिक ताकतों के कारण दुर्घटनाएं

- देश में प्राकृतिक ताकतों के कारण कुल 7,126 मृत्यु दर्ज हुई।
- प्राकृतिक ताकतों के कारण हुई 7,126 मृत्यु में से, 40.4% मृत्यु 'आकाशीय बिजली' गिरने से, 9.2% मृत्यु 'बाढ़' से तथा 8.7% मृत्यु 'शीतलहर' से दर्ज की गई।
- प्राकृतिक ताकतों से हुई दुर्घटनाओं में मारे गए पीड़ितों में से अधिकांश (50.9%) पीड़ित 30 से 45 वर्ष (24.0%) एवं 60 वर्ष एवं उससे ऊपर (26.9%) आयु-वर्ग के थे।
- 'आकाशीय बिजली' शीर्षक के तहत मध्य प्रदेश (496), ओडिसा (287), बिहार (286), झारखंड (254) एवं महाराष्ट्र (238) पीड़ितों के मामलों में सबसे बड़े राज्य / सं.शा. प्रदेश हैं।
- देश में प्राकृतिक ताकतों के कारण हुई कुल 7,126 मृत्यु में से 533 (7.5%) मृत्यु 53 बड़े शहरों में दर्ज की गई।

अन्य कारणों से हुई दुर्घटनाएं

- इस शीर्षक के तहत प्राकृतिक ताकतों के अलावा, वे अन्य कारण शामिल है जिनके कारण दुर्घटनायें या मृत्यु हुईं। इनमें लोगों द्वारा जानबूझकर किए गये या लापरवाही पूर्ण आचरण शामिल हैं।
- कुल 6,38,691 मामले दर्ज किए गए जिसमें 3,90,404 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 3,77,070 व्यक्ति घायल हुए।
- वर्ष 2021 के दौरान पुरुष-महिला मृत्यु का अनुपात–81.6:18.4 था।

- दुर्घटनात्मक मृत्यु के प्रमुख कारण (i) यातायात दुर्घटना (44.5%) (ii) अचानक मृत्यु (अंत में शब्दावली देंखे (13.0%), (iii) डूबने से (9.3%), (iv) जहर खाने से (6.0%), (v) गिरने से (5.5%) और, (vi) आकस्मिक आग से (2.1%) थे।
- देश में अन्य कारणों के कारण से हुई दुर्घटनाओं में मारे गए पीड़ितों में से अधिकांश (57.1%) पीड़ित 30 से 45 वर्ष (31.1%) एवं 18-30 वर्ष (26.1%) आयु-वर्ग के थे।
- देश में 2021 के दौरान अग्नि दुर्घटनाओं के 8,491 मामले सामने आए जिसमें 8,348 व्यक्ति मारे गए एवं 485 व्यक्ति घायल हुए।
- वर्ष 2021 के दौरान डूबने और जहर के कारण क्रमशः 36,362 (9.3%) तथा 23,472 (6.0%) मृत्यु हुईं।

यातायात दुर्घटनाएं

- वर्ष के दौरान कुल 4,22,659 यातायात दुर्घटनाएं दर्ज की गई जिसमें 4,03,116 'सड़क दुर्घटना, 1,550 'रेलवे क्रासिंग दुर्घटना' और 17,993 'रेल दुर्घटना' शामिल हैं। इन दुर्घटनाओं के कारण 3,73,884 व्यक्ति घायल हुए और 1,73,860 मारे गए।
- 'सड़क दुर्घटनाओं', 'रेल दुर्घटनाओं' और 'रेलवे क्रासिंग' दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु का प्रतिशत क्रमशः 89.5% (1,55,622 मृत्यु), 9.5% (16,431 मृत्यु) एवं 1.0% (1,807 मृत्यु) है।
- यह ध्यान देने योग्य बात है कि देश में जनवरी (41,778) तथा मार्च (39,964) में अधिकतम यातायात दुर्घटनाएं हुई। समय-अवधि के विश्लेषण के अनुसार अधिकतम यातायात दुर्घटनाएं, (84,221) 18:00 बजे से 21:00 बजे के दौरान दर्ज की गईं।

सड़क दुर्घटनाएं

- वर्ष 2021 के दौरान 'यातायात दुर्घटनाओं' के 4,03,116 मामले दर्ज किए गए जिसमें 3,71,884 व्यक्ति घायल हुए तथा 1,55,622 मारे गए।
- सड़क दुर्घटनाओं में 44.5% पीड़ित 'दो पहिया चालक' थे, उसके बाद कार, ट्रक/लॉरी एवं बसों से सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु का प्रतिशत क्रमशः 15.1%, 9.4% एवं 3.0% था।
- अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं बहुत तेज गाड़ी चलाने के कारण हुई जो कि कुल दुर्घटनाओं का (59.7%) था, जिसके कारण 87,050 मृत्यु हुईं तथा 2,28,274 व्यक्ति घायल हुए। खतरनाक/लापरवाही से गाड़ी चलाने या

ओवरटेक करने की वजह से 25.7% सड़क दुर्घटनाएं हुईं जो कि 42,853 व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बनी एवं 91,893 व्यक्ति घायल हुए। इसके अलावा 2.8% सड़क दुर्घटनाएं मौसम की खराब स्थिति के कारण हुईं।

- ग्रामीण क्षेत्रों (2,40,747 मामले) और शहरी क्षेत्रों (1,62,369 मामले) में क्रमशः 59.7% और 40.3% सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं।
- सड़क दुर्घटनाओं के कुल मामलों का 29.9% (4,03,116 मामलों में से 1,20,603 मामले) रिहायशी इलाकों में दर्ज हुआ।

रेल दुर्घटनाएं

- वर्ष 2021 के दौरान कुल 17,993 रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इन रेल दुर्घटनाओं में 1,852 व्यक्ति घायल हुए एवं 16,431 व्यक्ति मारे गए।
- अधिकांश रेल दुर्घटनाएं 67.7% रेलगाड़ी से गिरने/रेल की पटरी पर लोगों की रेल से टक्कर के कारण हुईं (17,993 में से 12,181)।

रेलवे क्रासिंग दुर्घटनाएं

- रेलवे क्रासिंग दुर्घटना के कुल 1,550 मामले दर्ज हुए जिसमें 1,807 व्यक्ति मारे गए तथा 148 व्यक्ति घायल हुए।
- उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रासिंग दुर्घटनाओं के सबसे अधिक मामले (1,550 मामलों में से 575 मामले) दर्ज हुए जो कि ऐसी कुल घटनाओं का 37.1% था।

भारत में आत्महत्या

	2020	2021
आत्महत्या	1,53,052	1,64,033
*आत्महत्या की दर	11.3	12.0

* दर प्रति एक लाख जनसंख्या के अनुसार

- वर्ष 2020 (1,53,052 आत्महत्याएं) की तुलना में वर्ष 2021 (1,64,033 आत्महत्याएं) के दौरान आत्महत्याओं के मामलों में बढ़त देखी गई।
- शहरों में आत्महत्या की दर (16.1) अखिल भारतीय आत्महत्या दर की तुलना में (12.0) अधिक थी।
- वर्ष 2021 के दौरान 'पारिवारिक समस्यायें' (विवाह संबंधी समस्याओं के अलावा) (33.2%), विवाह संबंधी समस्यायें (4.8%) तथा 'बीमारी' (18.6%) सभी को मिलाकर देश की कुल आत्महत्या का 56.6% अंकित हुआ।
- पुरुष :महिला आत्महत्या पीड़ितों का कुल अनुपात 72.5 : 27.5
- लगभग 68.1% पुरुष पीड़ितों शादीशुदा थे जबकि महिला पीड़ितों का अनुपात 63.7% थी।
- 11.0% आत्महत्या पीड़ित अनपढ़ थे ,15.8% आत्महत्या पीड़ित प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त थे ,19.1% आत्महत्या पीड़ित माध्यमिक स्तर तक तथा 24.0% आत्महत्या पीड़ित मैट्रिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त थे। कुल आत्महत्या पीड़ितों में से केवल 4.6% स्नातक एवं उससे ऊपर के थे।
- आत्महत्या करने के तरीकों में 'फांसी लगाना' (57.0%), 'जहर' खाना (25.1%), 'डूबकर मरना' (5.1%) तथा ' आत्मदाह' (2.6%) मुख्य रूप से पाये गये।
- सामूहिक/पारिवारिक आत्महत्या के अधिकांश मामले तमिलनाडु (33) उसके बाद राजस्थान (25), आंध्र प्रदेश (22) एवं केरल (12) से दर्ज हुए ।